प्राथमिक डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

मनजीत कौर आदि बनाम आत्मा सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 53 आरटीए मुकदमा नं. 148/2022

निर्णय दिनांक :- 23.01.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री राजेन्द्र रमाणा** के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 48 एफ. पटवार हल्का बडोपल. भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर. तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 99/99 के मुरब्बा नम्बर 41 की कुल 4.957 हेक्टैयर भूमि में वादी मनजीत कौर के हिस्सा में 0.784 हेक्टैयर. वादी संख्या 2 सुखदेव के हिस्सा में 1.873 हेक्टैयर. वादी संख्या 3 लखवीर सिंह के हिस्सा में 1.061 हेक्टैयर भूमि आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड. हिस्से माफिक भूमि का वादीगण के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एवं रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादीगण व प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। वादीगण व प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे।

आज दिनांक 23.01.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: .01.2023

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

क्रमांक: रीडर/ 2022/44

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) ★

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) श्रीकरणपुर दिनांक 06/02/2023
क्रमांक/भूअ./-352
उप तहसीलदार, केसरीसिंहपुर
भूअनि-............................ प. मं. बडोपल
मूल प्रार्थना पत्र/वाद पत्र मय संलग्नक भेजकर लेख है की प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों की जाँच कर रिपोर्ट शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।
संलग्न
(भू.अ.)

न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या 148/2022

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. मनजीत कौर पत्नी सुखदेव सिंह जाति जटसिख उम्र 60 वर्ष निवासी चक 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. सुखदेव सिंह पुत्र गांधा सिंह जाति जटसिख उम्र 62 वर्ष निवासी चक 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 3. लखवीर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख उम्र 35 वर्ष निवासी चक 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी आस्ट्रेलिया जरिये मुख्तायरे आम सुखदेव सिंह पुत्र गांधा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. आत्मा सिंह पुत्र हरदीत सिंह जाति रायसिख निवासी चक 48 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. सन्ता सिंह पुत्र हरदीत सिंह जाति रायसिख निवासी चक 48 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 3. बलवन्त सिंह पुत्र हरदीत सिंह जाति रायसिख निवासी चक 48 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 4. महेन्द्र कौर पत्नी हरदीत सिंह जाति रायसिख निवासी चक 48 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरनपुर।

(वादीगण बनाम प्रतिवादीगण)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 13.07.2022

उपस्थितः 1.श्री राजेन्द्र रमाणा अधिवक्ता वादीगण

दिनांकः 18.05.2023

--निर्णय--

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 48 एफ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 2076 के खाता संख्या 99/99 के मु0नं0 40 के किला नं0 6 ता 20 की 4.957 है0 नहरी भूमि में से वादी सख्या 1 मनजीत कौर के नाम 0.784 है0, वादी सख्या 2 सुखदेव सिंह के नाम 1.873 है0 एंव वादी सख्या 3 लखवीर सिंह के नाम 1.061 है0 सभी वादीगण के नाम 3.718 है0 नहरी भूमि दर्ज कागजात माल चली आ रही है। समस्त वादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा अपने नाम उपरोक्त आराजी को इक्ट्ठी ही काश्त करते है। इसलिए तमाम वादीगण उपरोक्त चक 48 एफ की आराजी में अपने पूरे परिवार का खाता अलग करवाना चाहते है। चक 48 एफ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 2076 के खाता संख्या 99/99 के मु0नं0 40 के किला नं0 6 ता 20 की 4.957 है0 नहरी भूमि में से वादी सख्या 1 मनजीत कौर के नाम 0.784 है0, वादी सख्या 2 सुखदेव सिंह के नाम 1.873 है0 एंव वादी सख्या 3 लखवीर सिंह के नाम 1.061 है0 सभी वादीगण के नाम 3.718 है0 भूमि दर्ज है। उपरोक्त खाता सख्या 99/99 के मु0नं0 40 के किला नं0 11 की 0.228 है0, किला नं0 12 ता 19 प्रत्येक सालम-सालम किला नं0 20 व 21 प्रत्येक 0.227-0.227 है0 एंव किला नं0 22 ता 25 प्रत्येक सालम कुल 3.718 है0 भूमि वादीगण का संयुक्त कब्जा चला आ रहा है। उक्त आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत् बंटवारा नहीं हुआ है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने उपरोक्त भूमि का वाहमी बंटवारा किया हुआ है। जिस अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपनी-अपनी भूमि लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण अपनी सहूलियत के लिये अपने हिस्सा में आई उक्त अराजी का किलावाईज राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन करवाना चाहते है। मुश्तरका खाता की अराजी के सम्बन्ध में विधि के सुस्थापित प्रावधान है कि मुशर्तका खाता की सम्पत्ति का विभाजन करवाये बिना कोई भी हिस्सेदार किसी अजनबी व्यक्ति को भूमि का किलावाईज बेचान नहीं कर सकता और मुशर्तका खाता की अराजी में ऋण आदि लेने में दिक्कतें पेश आती हैं और मुशर्तका खाता की अराजी होने के कारण भविष्य में वारिसान के मध्य झगड़े आदि होने की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नौबत बनी रहती है। इसलिये वादीगण अपने नाम दर्ज उक्त खातेदारी भूमि का अपने-अपने हिस्सानुसार अलग से खाता विभाजन करवाना चाहते है, जिसके वादीगण अधिकारी है। वादीगण ने आज से दो रोज पूर्व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का हिस्सानुसार किलावाईज विभाजन करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया। इसलिये वादी को श्रीमान् जी के न्यायालय में उक्त दावा पेश करना जरूरी हो गया है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री सादर फरमाया जावे:-कि चक 48 एफ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 2076 के खाता सख्या 99/99 के मु0नं0 40 के किला नं0 11 की 0.228 है0, किला नं0 12 ता 19 प्रत्येक सालम-सालम किला नं0 20 व 21 प्रत्येक 0.227-0.227 है0 एंव किला नं0 22 ता 25 प्रत्येक सालम कुल 3.718 है0 भूमि का खाता वादीगण के नाम से अलग किया जाकर, लगान भूमि भी अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जावे तथा तहसीलदार राजस्व श्रीकरनपुर को इस आशय का आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु जारी किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 की मृत्यू होने के संबध में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 महेन्द्र कौर को मृतक दर्ज किए जाने के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। अधिवक्ता वादीगण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 48 एफ, पटवार हल्का बडोपल, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 99/99 के मुरब्बा नम्बर 41 की कुल 4.957 हेक्टैयर भूमि में वादी मनजीत कौर के हिस्सा में 0.784 हेक्टैयर, वादी संख्या 2 सुखदेव के हिस्सा में 1.873 हेक्टैयर, वादी संख्या 3 लखवीर सिंह के हिस्सा में 1.061 हेक्टैयर भूमि भूमि का बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

बहस वादिया अधिवक्ता सुनी गई, बहस के दौरान वादिया अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस वादिया अधिवक्ता व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 48 एफ, पटवार हल्का बडोपल, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 99/99 के मुरब्बा नम्बर 41 की कुल 4.957 हेक्टैयर भूमि में वादी मनजीत कौर के हिस्सा में 0.784 हेक्टैयर, वादी संख्या 2 सुखदेव के हिस्सा में 1.873 हेक्टैयर, वादी संख्या 3 लखवीर सिंह के हिस्सा में 1.061 हेक्टैयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

अधिकारी (राजस्व)

मनजीत कौर आदि बनाम आत्मा सिंह आदि
वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 आरटीए,
प्रकरण संख्या 148/2022

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु. न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	मनजीत कौर पत्नी सुखदेव सिंह जाति जटसिख उम्र 60 वर्ष निवासी चक 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरनपुर (0.784हेक्टैयर) सुखदेव सिंह पुत्र गांधा सिंह जाति जटसिख उम्र 62 वर्ष निवासी चक 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरनपुर (1.061 हेक्टैयर) लखवीर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख उम्र 35 वर्ष निवासी चक 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरनपुर (1.873 हेक्टैयर)	48 एफ	41	11 12 ता 19 20 21 22 ता 25	0.227 हेक्टैयर 2.024 हेक्टैयर 0.227 हेक्टैयर 0.227 हेक्टैयर 1.012 हेक्टैयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	1.88 1.88 1.89 1.33 2.10

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 18.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

मनजीत कौर आदि बनाम आत्मा सिंह आदि
धारा अन्तर्गत **53** आरटीए मुकदमा नम्बर **148/2022**
निर्णय दिनांक :- 18.05.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, सुखविन्द्र सिंह सरां उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम 48 एफ, पटवार हल्का बडोपल, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 99/99 के मुरब्बा नम्बर 41 की कुल 4.957 हेक्टैयर भूमि में वादी मनजीत कौर के हिस्सा में 0.784 हेक्टैयर, वादी संख्या 2 सुखदेव के हिस्सा में 1.873 हेक्टैयर, वादी संख्या 3 लखवीर सिंह के हिस्सा में 1.061 हेक्टैयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु. न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	मनजीत कौर पत्नी सुखदेव सिंह जाति जटसिख उम्र 60 वर्ष निवासी चक 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरनपुर (0.784हेक्टैयर) सुखदेव सिंह पुत्र गांधा सिंह जाति जटसिख उम्र 62 वर्ष निवासी चक 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरनपुर (1.061 हेक्टैयर) लखवीर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख उम्र 35 वर्ष निवासी चक 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरनपुर (1.873 हेक्टैयर)	48 एफ	41	11 12 ता 19 20 21 22 ता 25	0.227 हेक्टैयर 2.024 हेक्टैयर 0.227 हेक्टैयर 0.227 हेक्टैयर 1.012 हेक्टैयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	1.88 1.88 1.89 1.33 2.10

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे।

आज दिनांक 19.05.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	500	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	504	00	योग	04	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
दिनांक:19.05.2023

क्रमांकः रीडर/ 2023/214
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

संशोधित अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

मनजीत कौर आदि बनाम आत्मा सिंह आदि

धारा अन्तर्गत **53** आरटीए मुकदमा नम्बर **148/2022**

निर्णय दिनांक :- 18.05.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, सुखविन्द्र सिंह सरां उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम 48 एफ, पटवार हल्का बडोपल, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 99/99 के मुरब्बा नम्बर 41 की कुल 4.957 हेक्टैयर भूमि में वादी मनजीत कौर के हिस्सा में 0 784 हेक्टैयर, वादी संख्या 2 सुखदेव के हिस्सा में 1.873 हेक्टैयर, वादी संख्या 3 लखवीर सिंह के हिस्सा में 1.061 हेक्टैयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु. न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	मनजीत कौर पत्नी सुखदेव सिंह जाति जटसिख उम्र 60 वर्ष निवासी चक 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरनपुर (0.784हेक्टैयर) सुखदेव सिंह पुत्र गांधा सिंह जाति जटसिख उम्र 62 वर्ष निवासी चक 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरनपुर (1.873 हेक्टैयर) लखवीर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख उम्र 35 वर्ष निवासी चक 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरनपुर (1.061 हेक्टैयर)	48 एफ	41	11 12 ता 19 20 21 22 ता 25	0.227 हेक्टैयर 2.024 हेक्टैयर 0.227 हेक्टैयर 0.227 हेक्टैयर 1.012 हेक्टैयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	1.88 1.88 1.89 1.33 2.10

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। आज दिनांक 03.07.2023 को यह संशोधित पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	500	00
योग	504	00

मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प अरजी	02	—
मेहनताना वकील पर	00	—
योग	04	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर
दिनांकः 03.07.2023

क्रमांकः रीडर/ 2023/382
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर